भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1369

(दिनांक 25.07.2018 को उत्तर के लिए)

पदोन्नति नियमों का उल्लंघन

1369. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के मामले में राज्यों द्वारा पदोन्नति नियमों के उल्लंघनों से समग्र कैडर के उसी बैच में विसंगति उत्पन्न होने के मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के उल्लंघनों को माना है अथवा निगरानी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों और अनुदेशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में सेवा की अनिवार्य अवधि अर्थात् उच्च प्रशासनिक ग्रेड हेतु 25 वर्षों की सेवा अवधि पूरी किए बिना पदोन्नति के तीन मामले और पंजाब संवर्ग में सुपर टाइम स्केल हेतु 16 वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि पूरी किए बिना सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति का एक मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की जानकारी में आया है। गृह मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रमशः भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के संबंध में पदोन्नति नियमों के उल्लंघन का कोई मामला ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) और (घ): भारत सरकार संबंधित पदोन्नति दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करती है और संबंधित महालेखाकारों को सूचित करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदोन्नति दिशा-निर्देशों की प्रतियां संलग्न हैं।